न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –04 / 2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021 / 5

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
मोतीसिंह पुत्र कालूसिंह जाति दरोगा निवासी बालवा तहसील व जिला नागौर, राज0		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री महावीर सिंह।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 28-10-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 135 / 2020 सरकार बनाम मोतीसिंह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.01.2021 को प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार नागौर के समक्ष पटवारी हल्का, बालवा ने एक सरासर गलत रिपोर्ट अपीलांट के विरूद्ध पेश कर जाहिर किया कि अपीलांट / गैर सायल ने मौजा चकधिसनियाडेर के खसरा नम्बर 27 रकबा 0.07.10 बीघा गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर संवत् 2077 में फसल मोठ बोकर अतिक्रमण किया है। जिस पर उक्त प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया। अपीलांट ने नोटिस का लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने गैर सायल के विरूद्ध खसरा नम्बर 27 रकबा 0.07.10 बीघा गैर मुमकिन रास्ता वाके मौजा चकधिसनियाडेर पर कब्जा / अतिक्रमण बता कर सरासर गलत रिपोर्ट पेश की है व उस रिपोर्ट के आधार पर गलत तवज्जा दिलाकर व वास्तविक तथ्य छुपा कर नोटिस दिलवाया गया है क्योंकि वास्तविक स्थिति तो यह है कि खसरा नम्बर 28 / 161 रकबा 10 बीघा गैर सायल के नाम सन् 1975 में आंवटन हुआ था तब हल्का पटवारी ने नाप कर गैर सायल को कब्जा सुपुर्द किया गया था, उस समय से उसी भूभाग पर गैर सायल काबिज रह कर उपयोग उपभोग कर रहा है, गैर सायल ने कथित रास्ते के किसी भी भूभाग पर अतिक्रमण नहीं किया है पटवारी हल्का ने मौके पर नाप चोप किये बिना ही अंदाज से ही अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट कर नोटिस जारी करवाया है, गैर सायल का खेत खसरा नम्बर 28 / 161 रकबा 10 बीघा का नाप चोप करने पर अगर गैर सायल का रकबा 10 बीघा से ज्यादा कब्जा निकलता है तो गैर सायल छोडने को तैयार है व रहेगा। गैर सायल का कोई कब्जा आंवटित भूमि के अलावा किसी रकबा पर नहीं है। तहसीलदार अपने स्तर पर मौका निरीक्षण करावे तथा गैर सायल को आंवटित भूमि व कथित रास्ते [illegible] पास की भूमि का नाप चोप करावे ताकि वास्तविक स्थिति प्रकट हो सके तथा नोटिस की कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया। तत्पश्चात् तहसीलदार नागौर ने सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.0[illegible] पत्रावली में मंगवाई जाने का हवाला देकर खसरा नम्बर 27 गैर मुमकिन रास्ता पर खसरा नम्बर 26, 28 / 161, 28 / [illegible] के खातेदारो का अतिक्रमण होना बताकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करके बेदखल करने व [illegible] अधिरोपित करते हुए अपीलांट के हितों की अनदेखी करते हुए कथित तीन खसरो के खातेदारो द्वारा शामिल रूप से अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील दिनांक 05.01.2021 को पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट निम्न आधारों पर अन्दर मियाद यह अपील पेश कर रहा है।

लायक अदालत मातहत का निर्णय जैर अपील, गलत, विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उसको नियमानुसार आंवटित 10 बीघा भूमि से एक इंच ही अन्य किसी भूमि या रास्ता की भूमि पर कोई कब्जा अतिक्रमण नहीं है व आस पास के खसरों का नाप चोप करवाने का निवेदन किया तो वैसी सुरत में अपीलांट की उपस्थिति में सभी खसरों का नाप चोप करवाया जाना आवश्यक था व है लेकिन ऐसी कोई जांच व नाप चोप तमाम खसरान की नहीं करवाई और तथाकथित दिनांक 05.01.2021 की रिपोर्ट पेश होना बताया है उसकी कोई नकल अपीलांट को उपलब्ध भी नहीं करवाई है तथा खसरा नम्बर 28, 28 / 161 व 28 / 162 के खातेदारों द्वारा अतिक्रमण करना बताया है जबकि इन खसरान का पहले एक ही चक था जिसमें से अलग अलग रकबा अलग अलग कब्जाधारीयों को पुराने समय में आंवटित किया व विधिवत आंवटन खसरा नम्बर 28 / 16 रकबा 10 बीघा अपीलांट की खातेदारी में दर्ज हुआ व उसी 10 बीघा पर अपीलांट का कदीम से निरन्तर चारो तरफ सींवो माठो से कब्जा काश्त रहता चला आया है तथा ये तीनों खसरान एक ही सीध में है व इनके चिपता उत्तर में रास्ता राजस्व नक्शा में स्पष्ट दर्शाया है जिसकी प्रति पेश कर सलग्न नक्शें के अवलोकन से स्पष्ट है कि रास्ता इन खसरान के उतरी सीमा के चिपता रहता चला आया है मगर गांव के कुछ समूह विशेष के लोगो द्वारा नाजायज रूप से उतरी तरफ चलने वाले रास्ते को छुपाते हुए नया रास्ता इन खसरान के बीच में सें होकर निकालने पर आमादा है जबकि आंवटित भूमि का ट्रेस नक्शा पासबुक के साथ अपीलांट को पटवारी हल्का बालवा द्वारा जारी करके दिया गया था। जिस नक्शा से हट कर अपीलांट की आंवटित खातेदारी की भूमि मे सें रास्ता जबरन कायम करके अपीलांट की आंवटित भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा सरकारी योजना का दुरूपयोग करके जबरन सडक बनाने की तैयारी करने पर अपीलांट ने इस हेतु कानूनी कार्यवाही की गयी थी और वे लोग अपने इन गलत मनसूबो में कामयाब नहीं हुऐ तो अपीलांट पर दबाव बनाने के लिए पटवारी हल्का को दवाब व प्रभाव में लेकर सरासर मिथ्या अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करवा दी है जबकि अपीलांट श्रीमान् से निवेदन करता है कि उसको आंवटितसुदा 10 बीघा भूमि का नाप चोप निष्पक्ष टीम से अपीलांट की मौजूदगी में करवाई जावे व नक्शा ट्रेस के अनुसार उतरी तरफ के रास्ते का नाप चोप करवा कर रास्ता जहां नक्शा में दर्शित है उस पर किन किन लोगो का कब्जा अतिक्रमण है उसकी रिपोर्ट मंगवाई जावे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जावेगी व वैसी सुरत में अपीलांट की आंवटितसुदा 10 बीघा से 1 इंच भूमि पर भी अतिक्रमण नहीं आयेगा और यदि आता है तो अपीलांट ऐसा कब्जा हटाने को सदैव तैयार था व है ऐसा निवेदन तहसीलदार के समक्ष भी किया था मगर इस ओर ध्यान नहीं देकर मात्र औपचारितकता पूरी की गई है उतरी तरफ के रास्ते का कोई नाप चोप सीमाज्ञान नहीं करवाया न ही अपीलांट को आंवटित 10 बीघा भूमि का नाप चोप कर सीमाज्ञान किये बिना ही तीन खातेदारों का संयुक्त अतिक्रमण बताया है जबकि इनका जिस प्रकार अतिक्रमण है रास्ता कहां बताया जा रहा है व नक्शा में रास्ता कहां पर दर्शाया गया है इस बाबत कोई खुलासा रिपोर्ट नहीं है न ऐसी किसी रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाई है इन परिस्थितियों में बिना अतिक्रमण के किसी गरीब काश्तकार को सरकार द्वारा आंवटित व खातेदारी की भूमि से बेदखल किया जाना कतई उचित नहीं है। अपीलांट के हितो की अनदेखी की गई है व अपीलांट के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि कुछ समूह विशेष के लोग आनन फानन में एक बार अति[illegible]य करवाने व उसके पश्चात् पुनः पश्चात्वृति अतिक्रमण का मुकदमा करवा कर [illegible]स आदि का निर्णय करवा कर अपीलांट को दबाव में लेकर जबरन क[illegible] रास्ता से हटकर [illegible] के खेत में से अपनी सुविधा अनुसार सडक निर्माण करवाना चाहते [illegible] सांठ गांठ व मिलीभगती से सारी गैर कानूनी कार्यवाही की [illegible] प्रकरण विशेष परिस्थितियों को देखते हुऐ निर्णय जैर अपील विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त / निरस्त संशोधित किया जाकर नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता का नाप चोप करवाया जाने व अपीलांट को आंवटित खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

28 / 161 के रकबा 10 बीघा का सीमाज्ञान करवाया जाने के निर्देश दिये जाना अति आवश्यक व न्याय संगत है।

पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कथित रास्ता पर अतिक्रमण करने की जो रिपोर्ट पेश की है मौके पर वहां ऐसा कोई रास्ता नहीं है रास्ता इन खसरान के उतरी सीमा पर नक्शा ट्रेस में दर्शाया हुआ है उस बाबत कोई रिपोर्ट जानबूझ कर पेश नहीं की है न ही उस रास्ते को कायम किया जा रहा है व राजस्व नक्शा एंव मौके की स्थिति से हट कर मनमर्जी से दुसरी जगह रास्ता स्थापित करना चाहते है जो कतई विधि सम्मत नहीं है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट से अदावत रखने वाले व राजनेतिक कारणों से द्वेषताभाव रखने वाले लोग खसरा नम्बर 27 में सड़क का निर्माण नहीं करवा कर अपीलांट के खेत के मध्य मे सें होकर सड़क का निर्माण करवाना चाहते है व ऐसी खुली धमकी दी है जबकि अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 28 / 161 में कोई रास्ता न तो कभी रहा न आज दिन है न ही नक्शा में दर्शित है इसके बावजूद अपीलांट को अतिक्रमी मानकर कथित निर्णय की आड़ में खातेदारी व आंवटित रकबे से बेदखल कर जबरन नया रास्ता दुसरी जगह अपीलांट के खेत में स्थापित करके सड़क निर्माण करवा दी व अपीलांट को बेदखल कर दिया तो उसका खेत असुरक्षित हो जायेगा, आंवटित भूमि का रकबा पहले से ही मौके पर कम है तथा और कम हो जायेगा जिससे अपीलांट खातेदार काश्तकार के विधिक हक अधिकारो व हितो पर कुठाराघात होगा इन परिस्थितियों में प्रकरण हाजा में श्रीमान् अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट के साथ न्याय करावे व स्थानीय प्रशासन द्वारा अपीलांट काश्तकार के साथ की जा रही धोखाधडी व अन्यायपूर्ण कृत्य को रोका जाने हेतु विशेष आदेश पारित किया जावे ताकि निर्दोष को अनावश्यक दण्डित नहीं किया जा सके। इन परिस्थितियों में निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

अपीलांट द्वारा कथित किसी रास्ते पर कोई अतिक्रमण किया हो, ऐसी ग्रामवासीयों व काश्तकारों की कोई शिकायत कभी नहीं रही है सन् 1975 से जहां आंवटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया उसी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहता चला आया है चारो तरफ धौरा पाली व कदीमी वृक्ष है नया कोई कब्जा या अतिक्रमण कतई साबित नहीं है न कभी अपीलांट ने कोई अतिक्रमण किया है केवल मात्र वास्तविक उतरी तरफ के रास्ते को एकदम समाप्त करके एक नया ही रास्ता खातेदारी की भूमि से कायम करना कतई उचित नहीं है न ही ऐसी विधि की मंशा है तथा नरेगा योजना या सड़क बाबत अन्य सरकारी योजना जो भी हो उनमें सरकार का यह स्पष्ट निर्देश होता है कि राजस्व नक्शा में जहां रास्ता दर्शित है उसी रास्ता पर सड़क बनाई जा सकती है उससे हट कर किसी खातेदार की भूमि में सड़क बनाने से स्पष्ट वर्जित किया हुआ है लेकिन प्रकरण हाजा में इन विधिक प्रावधानों व सरकारी दिशा निर्देशों व नियमों की खुली अवहेलना की जा रही है और वास्तविक तथ्यों को बिल्कुल छुपाते हुए व नजर अन्दाज करते हुए बिना किसी प्रकार का अतिक्रमण करते हुए केवल मात्र दबाव बनाने के लिए अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की एकदम गलत रिपोर्ट पटवारी से करवा कर आनन फानन में खुलासा मुन्तकिल पोईन्ट से राजस्व नक्शा अनुसार नाप चोप व सीमाज्ञान करवाये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया गया है व अपीलांट को आंवटित भूमि से बेदखल करने की तैयारी की जा रही है इस कारण निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट पुनः निवेदन करता है कि उसको आंवटित खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 28 / 161 रकबा 10 बीघा का उपस्थिति में नाप चोप करवा कर सीमाज्ञान करवा दिया जावे और यदि रकबा मौके पर कम हो तो उसको पुरा करवाया जावे व आंवटित रकबा से अधिक यदि कब्जा मिलता है तो अपीलांट ऐसा कब्जा [illegible]ा, इन परिस्थितियों में निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:38 IST
Reason: SelfAttested

लायक अदालत म[illegible] जिरह का अवसर दिया न ही अन्य कोई साक्ष्य सबूत पे[illegible] इतना ही नहीं आनन फानन में उक्त आदेश की आड़ में प[illegible] होकर खातेदारी की भूमि से अपीलांट को बेदखल कर बहुत नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है ऐसी स्थिति में अपीलांट के साथ घौर अन्याय हो रहा है इस कारण कथित अवैध कार्यवाही को रूकवाना आवश्यक होने से अपील पेश करने का

कलक्टर, नागौर

कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश/निर्णय जैर अपील विधि विरूद्ध पारित किया होने से खारिज फरमाया जावे। विकल्प में पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलांट की उपस्थिति में राजस्व नक्शा में दर्शित रास्ता व आस पास के तमाम खसरान का नाप चोप करवाया जावे व उतरी तरफ रास्ता पर जिस किसी का अतिक्रमण है तो उसका पता लगवा कर वास्तविक रास्ता पर से अतिक्रमण हटवाया जावे व अपीलांट को आंवटित भूमि खसरा नम्बर 28/161 रकबा 10 बीघा का नाप चोप करवा कर सीमाज्ञान करवाया जावे व अपीलांट को उसकी खातेदारी की भूमि 10 बीघा के किसी भी भूभाग से बेदखल नहीं करने हेतु निर्देश देकर अपीलांट के साथ न्याय करवाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में पटवारी बालवा की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम चकधिसनियाडेर के खसरा नम्बर 27 गैर मुमकिन रास्ता की 0–07–10 बीघा भूमि पर मोठ की फसल बोकर नाजायज अतिकमण किया है तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया गया है जिसमें भी अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलांट का विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुरूप है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार तथ्यों पर आधारित होने का कथन करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में पटवारी बालवा की रिपोर्ट दिनांक 19.10.2020 जो भू–अभिलेख निरीक्षक, गोगेलाव द्वारा दिनांक 20.10.2020 को सत्यापित है, के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम चकधिसनियाडेर के खसरा नम्बर 27 गैर मुमकिन रास्ता की 0–07–10 बीघा भूमि पर मोठ की फसल बोकर नाजायज अतिकमण किये जाने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब भी प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान बाबत टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया गया। उक्त संबंध में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.12.2020 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 27 किस्म गै.मु. रास्ता पर खसरा नम्बर 28, 28/161, 28/162 के खातेदारो द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाये जाने पर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा पटवारी बालवा की रिपोर्ट एंव तत्पश्चात् सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट का वादग्रस्त रास्ते की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:42:38 IST
Reason: SelfAttested